

प्रेषक,  
मौनिका एस.गर्ग,  
अपर मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक  
उच्च शिक्षा, उ०प्र०,  
प्रयागराज।
2. कुल सचिव,  
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय,  
उ०प्र०।
3. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,  
उ०प्र०।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 08 जून, 2022

विषय:-सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के दौरान उच्च शिक्षण संस्थानों में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर उच्च शिक्षा अनुभाग-3 के पत्र संख्या- 1272 /सत्तर-3-2022-08(14)/2018 दिनांक 17 मई, 2022 तथा पत्र संख्या- 1310/सत्तर-3-2022-08(14)/2018 दिनांक 21 मई, 2022 द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान दिनांक 19.05.2022 से दिनांक 31.05.2022 के दौरान उच्च शिक्षण संस्थानों में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- इस सम्बन्ध में परिवहन अनुभाग-3 के पत्र संख्या-1151/तीस-3-2022 दिनांक 31 मई, 2022 (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान को आगे बढ़ाते हुए दिनांक 18.06.2022 तक सुचारु रूप से सम्पादित किये जाने के निर्णय से अवगत कराया गया है। अतः उच्च शिक्षा अनुभाग-3 के उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 17.05.2022 में निर्धारित कार्ययोजना/दिशा निर्देशों के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस दौरान प्रदेश स्थित उच्च शिक्षण संस्थानों में सड़क सुरक्षा के प्रति अध्यापकों, छात्रों एवं अभिभावकों के मध्य जागरूकता पैदा करने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें:-

1. एन.सी.सी./एन.एस.एस./रोवर रेन्जर्स द्वारा चौराहों पर प्रचार-प्रसार

एन.सी.सी./एन.एस.एस./रोवर रेन्जर्स द्वारा जनमानस को जागरूक करने के लिए चौराहों पर प्रचार प्रसार एवं सड़क सुरक्षा रैली का आयोजन किया जायेगा तथा वाल राइटिंग का कार्य भी किया जायेगा।

2. सेमिनार/गोष्ठी

प्रत्येक संस्थान में सुरक्षा नियमों पर गोष्ठी/सेमिनार आयोजित की जायेगी, जिसमें उक्तानुसार प्रशिक्षित प्राचार्यों/शिक्षकों द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता की जानकारी दी जायेगी। गोष्ठी/सेमिनार में यथासम्भव यातायात पुलिस/परिवहन विभाग के अधिकारियों के सहयोग से छात्रों एवं अध्यापकों का अभिमुखीकरण किया जायेगा।

2. रोड सेफ्टी क्लब का गठन

प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थानों में रोड सेफ्टी क्लब का गठन किया जायेगा, जो वर्ष के दौरान सड़क सुरक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमों का आयोजन करायेगा।

4. **जागरूकता कार्यक्रम**

अभियान के दौरान सभी संस्थानों में छात्रों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रभात फेरी, क्विज, निबन्ध, पोस्टर पेन्टिंग, स्लोगन राइटिंग, रंगोली-आदि प्रतियोगितायें आयोजित की जायेंगी।

5. **सड़क सुरक्षा शपथ**

सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों एवं अध्यापकों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलायी जायेगी।

3- कृपया उच्च शिक्षा विभाग से सम्बन्धित संलग्न निर्धारित प्रारूप में उल्लिखित बिन्दुओं पर वांछित सूचनायें समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी से प्राप्त कर संकलित करते हुए सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर प्रतिदिन ई-मेल [sadaksurakshahome@gmail.com](mailto:sadaksurakshahome@gmail.com) तथा उच्च शिक्षा अनुभाग-3 को उपलब्ध कराते हुए उच्च शिक्षा विभाग के निम्नांकित गूगल लिंक की शीट में भी उपरोक्तानुसार नियमित रूप से अद्यतन डाटा अपलोड कराने का कष्ट करें :-

[https://docs.google.com/spreadsheets/d/12hHLuBMgofWOYW17r7qmn3pTMXe6mqDpW1s\\_zk3WKh7E/edit?usp=sharing](https://docs.google.com/spreadsheets/d/12hHLuBMgofWOYW17r7qmn3pTMXe6mqDpW1s_zk3WKh7E/edit?usp=sharing)

भवदीया,

( मोनिका एस. गर्ग. )  
अपर मुख्य सचिव।

पत्रांक:-आर0एम0पी0यू0 / 510 / 2022

दिनांक:- 08 जून, 2022

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मा0 कुलपति जी, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
2. समन्वयक, राष्ट्रीय सेवा योजना, एवं रेवर्स-रेंजर्स ईकाई, राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
3. प्राचार्य/प्राचार्या समस्त महाविद्यालय, संबद्ध राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़।
4. प्रभारी वेबसाइट।
5. गार्ड फाईल।

भवदीय

(महेश कुमार)

कुलसचिव

राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय  
अलीगढ़

उच्च शिक्षा विभाग

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान

दिनांक 19.05.2022 से 18.06.2022 तक

क्र०सं०	गतिविधि	भाग लेने वाले संस्थानों की संख्या		आयोजित कार्यक्रमों की संख्या	कुल प्रतिभागियों की संख्या
		विश्वविद्यालय	महाविद्यालय		
1	2	3	4	5	6
1.	शिक्षकों का प्रशिक्षण (जनपद स्तरीय)				
2.	NCC/NSS/ Rover Rangers द्वारा जन समान्य के लिये जागरूकता अभियान/सड़क सुरक्षा रैली				
3.	वॉलराइटिंग				
4.	सेमिनार/गोष्ठी				
5.	यातायात पुलिस के अधिकारियों/कर्मचारियों को आमंत्रित कर संस्थानों में आयोजित अभिमुखीकरण कार्यक्रम				
6.	रोड सेपटी क्लब का गठन				
7.	जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन				
8.	सड़क सुरक्षा शपथ				